"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 25, शक 1938

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

आदेश

क्रमांक 12206/3609/21-ब (एक)/छ. ग./2016. — राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2017 में अधिवार्षिकी आयु, 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
1.	श्री रमेश कुमार राठी	15-03-1957	31-03-2017
2.	श्री गनपत राव	01-05-1957	30-04-2017
3.	श्री सिप्रियल खेस्स	14-05-1957	31-05-2017
4.	श्री महादेव कातूलकर	20-05-1957	31-05-2017
5.	श्री ब्लासियुस टोप्पो	21-06-1957	30-06-2017
6.	श्री सेवकराम बंजारे	01-06-1957	31-05-2017

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .